I/307612/25

संख्याः /XXVIII-3-25-e file/Comp-no-87893/2025

प्रेषक,

डॉ0 आर0 राजेश कुमार,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकि0 स्वा0 एवं चिकि0 शिक्षा अनु0–3 देहरादूनः दिनांकः 19 जून, 2025

विषय–वित्तीय वर्ष 2025–26 में भारत सरकार से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजना **Grant-in-aid Flexipool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission** के संचालनार्थ पुनर्विनियोजन/व्यय की स्वीकृति विषयक ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त आपके कार्यालय पत्र संख्या–5प/7/बजट अनु0–1/ 24/2025 –26/15016, दिनांक 03.06.2025 एवं पत्र संख्या–5प/7/बजट अनु0–1/24/ 2025–26/15133, दिनांक 04.06.2025 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में भारत सरकार से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत Grant-in-aid Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission कार्यक्रम के संचालनार्थ भारत सरकार से अवमुक्त केन्द्रांश रू. 1,26,01,00,000/– एवं केन्द्रांश के सापेक्ष 10 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि रू 14,00,11,111/–(रूपया चौदह करोड ग्यारह लाख हजार एक सौ ग्यारह मात्र) इस प्रकार कुल धनराशि रू0 1,40,01,11,111/–(रूपया एक अरब चालीस करोड एक लाख ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह मात्र) संलग्न बीएम 9(I) के अनुसार पुनर्विनियोजन की स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित प्रतिबन्ध एवं शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय करने की राज्यपाल सहर्श स्वीकृति प्रदान करते हैः–

i. धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है। स्वीकृत धनराशि का व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं समस्त संगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

ii. उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है उस मद में धनराशि बचत के रूप में उपलब्ध हो। धनराशि उपलब्ध न होने की दशा में पुनर्विनियोग स्वतः निरस्त माना जाएगा।

iii. आवंटित धनराशि का व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर की स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाय।

iv. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rules, 2017 समय–समय पर यथासंशोधित वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पांच भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग के शासनादेश सं0–193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30.03.2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

v. जिन मदों से बी0एम0–09 के अनुसार पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उन मदों में इस वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग कदापि नहीं की जायेगी तथा धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार शासन को समर्पित कर दिया जायेगा। आंवटित धनराशि के उपभोग की मासिक सूचनाएं बी0एम0–08 पर शासन को प्रेषित की जाए।

vi. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–I/287566 E-79713/09(150)/2019XXVII(I)/2025 दिनांक 31.03.2025 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

vii. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2026 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराया जायेगा।

viii. स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–84/XXVII(I)/2016, दिनांक 26 जुलाई, 2016 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित् किया जायेगा।

ix. पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा बजट की मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

x. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्यय में अनुदान संख्या 12 के अन्तर्गत संलग्न बी0एम0–9 के कॉलम–07 के नामें डाला जायेगा तथा बी0एम0–9 के कॉलम–1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

xi. एस0एन0ए0 स्पर्श के संबंध शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण किया जायेगा। पुनर्विनियोग की स्वीकृति मात्र इस बार दी जा रही है, भविष्य के लिए दृष्टांत नही माना जायेगा। भारत सरकार के समस्त दिशा–निर्देशों का भी पालन किया जायेगा।

2. यह आदेश शासनादेश संख्या–130/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29.03.2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) पोर्टल के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन संलग्नानुसार निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेन्ट आई0डी0 द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

3. इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–I/302371/2025 दिनांक 30.05.2025 को इस सीमा तक अतिक्रमित समझा जाय।

4. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 की कम्प्यूटर जनित संख्या I/307478/2025 दिनांक 18.06.2025 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्न : अलाटमेन्ट आई0डी0।

भवदीय,
Digitally signed by Rajan Rajesh Kumar
Date: 19-06-2025 13:20:07
(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)

सचिव।

संख्या एवं तिथि तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून को बी0एम0–9 की मूल प्रति सहित ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला देहरादून ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/एन0आई0सी0।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Krishna Kumar Shukla
Date: 19-06-2025
13:25:40

(कृष्ण कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

प्रपत्र बी0एम0–9 (भाग–एक)
पुनर्विनियोग की स्वीकृति हेतु आवेदन
(वित्तीय वर्ष 2025–26)

अनुदान सं0 व नाम–12–चिकित्सा एवं परिवार कल्याण,
मुख्य लेखाशीर्षक–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–मतदेय

(धनराशि हजार में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाये		निम्नलिखित निधियों को प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाये	
लेखे का शीर्षक (15 अंकीय कूट में आयोजनागत/ आयोजनेत्तर	आवेदन की तिथि पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन की तिथि पर उपलब्ध बचतें	अंतरित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु धनराशि	अन्तरण के पश्चात अवशेष अनुदान/ विनियोग (2–5)	लेखे का शीर्षक (15 अंकीय कूट में) आयोजनागत/ आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष हेतु उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वर्ष के दौरान प्रत्याशित कुल व्यय	अन्तरण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु धनराशि	अन्तरण के पश्चात अवशेष अनुदान/ विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210–03–110–01–0104 आर0सी0 एच0 फ्लैक्सीपुल एवं हैल्थ सिस्टम सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीयस्वास्थ्य कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 70 केन्द्रांश	6856248	6856248	1260099			2210–03–110– 01–0104 आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपुल एवं हैल्थ सिस्टम सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 14– केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एसएनए में अंतरण	1	1260100	1260099		
योग	6856248	6856248	1260099			योग	1	1260100	1260099		
2210–03–110–01–0104–आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल एवं हैल्थ सिस्टम सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन मानक मद– 71–केन्द्रांश	762776	76277 6	140010.111			2210–03–110–95–04–आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल एवं हैल्थ सिस्टम सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीयस्वास्थ्य कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन मानक मद– 14–केन्द्रांश (केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एसएनए में अन्तरण)	1	140011.111	140010.111		
योग	762776	76277 6	140010.111			योग	1	140011.111	140010.111		
महायोग	7619024	7619024	1400109.111			महायोग	1	1400111.111	1400109.111		

प्रमाणित किया जाता है कि पैरा–133 व 134 में निर्धारित शर्तो सीमाओं का इस पुनर्विनियोग में उल्लंघन नही किया गया है।

अ0शा0 संख्या– I/307480/25 दिनांक 19 जून, 2025

सेवा में,

महालेखाकार
उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी),
देहरादून।

Digitally signed by Krishna Kumar Shukla
Date: 19-06-2025 13:26:59

(कृष्ण कुमार शुक्ल)
उप सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग।

Digitally signed by Ganga Prasad
Date: 18-06-2025 18:18:43

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या एवं तिथि–तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवचायें, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 ।
5. गार्ड फाईल ।

(कृष्ण कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

Secretary-Secretary, Medical & Health(S030)

HOD-Director General Medical Health Welfare(2671)

आवंटन पत्र संख्या -87893/25
अनुदान संख्या -012

आवंटन आई डी-S25060120005
आवंटन पत्र दिनांक-19-JUN-2025

लेखा शीर्षक	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 110-अस्पताल तथा औषधालय 04-आर0सी0एच0 फ्लेक्सीपुल एवं हैल्थ सिस्टम सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 01 केंद्र सहायतित योजना Voted

2	2	1	0	0	3	1	1	0	0	1	0	4

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण	0	1260100000	0	1260100000
योग	0	1260100000	0	1260100000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.1,26,01,00,000 (Rupees One Hundred Twenty Six Crores One Lac Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

Secretary-Secretary, Medical & Health(S030)

HOD-Director General Medical Health Welfare(2671)

आवंटन पत्र संख्या -87893/25
अनुदान संख्या -012

आवंटन आई डी-S25060120006
आवंटन पत्र दिनांक-19-JUN-2025

लेखा शीर्षक	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 110-अस्पताल तथा औषधालय 04-आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपुल एवं हैल्थ सिस्टम सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 95-केंद्र सहायतित योजना के सापेक्ष राज्यांश Voted

2	2	1	0	0	3	1	1	0	9	5	0	4

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
14-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अन्तरण	0	140011111	0	140011111
योग	0	140011111	0	140011111

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.14,00,11,111 (Rupees Fourteen Crores Eleven Thousand One Hundred Eleven Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER